# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / सी–एफ / 4111 / एकीकरण / 2016 / 15 दिनांक : 15.06.16

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
(समस्त)

विषय : राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित करने के राज्य सरकार के आदेशों की पालना

प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प.17(7) / प्राशि / आयोजना / समन्वय / 2016 दिनांक 13.06.16 17(9) एवं 17(21)

– – – – – –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित करने के आदेशों की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले से संबंधित राजकीय विद्यालयों को राज्य सरकार के आदेशानुसार समन्वित करवाकर संचालन करवाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करवावे । आदेश के अन्त में दिए गऐ निर्देशों का गहन अध्ययन कर पालना कार्यवाही करवावे । यदि किसी प्रकार की विसंगति हो, तो सम्पूर्ण विवरण सहित निदेशालय को ई–मेल आईडी Shakshikcelledu@gmail.com पर अवगत करावे ताकि तद्नुसार कार्यवाही की जा सके ।

नोट : आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित एकीकरण के प्रस्ताव व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो, तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावे तथा विद्यालयों की संख्यात्मक सूचना का मिलान आवश्यक रूप से कर लेवें ।

15/6/16

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा –राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

(1) संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है ।
(2) विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(3) आयुक्त, राजस्थान, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि समन्वित किए जाने वाले विद्यालयों के संबंध में शाला दर्शन पोर्टल पर विद्यालयों की सूची में संशोधन करने की कार्यवाही NIC से करवाने का श्रम करावे ।
(4) वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(5) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
(6) उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य का सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रबंधन कर समेकित पालना निदेशालय भिजवाएं ।
(7) निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान–बीकानेर